



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 05.04.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 03 मामलों में 03 अभियुक्तों को कारावास व कुल 20 हजार रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 03 मामलों में 03 अभियुक्तों को कारावास व कुल 20 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना पैलानी पर पंजीकृत अभियोग- 71/23 धारा 308/504/506 भादवि के अभियुक्त रामभुवन तिवारी पुत्र चन्द्रशेखर तिवारी निवासी नरौली थाना पैलानी जनपद बांदा को 05 वर्ष के कारावास तथा 9000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया।
2. थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग- 579/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त लाल सिंह उर्फ लालचन्द्र पुत्र छेहू निवासी बरौर जनपद कानपुर देहात को 02 वर्ष 01 माह के कारावास व 6000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया।
3. थाना मटौन्ध पर पंजीकृत अभियोग- 94/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त अंगद आरख पुत्र मंगल आरख निवासी करछा थाना मटौन्ध जनपद बांदा को 10 माह के कारावास व 5000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया।